आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 645/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एल एण्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता– 7th फ्लोर, टेक्नोपोलिक्स ए विंग, प्लॉट नं. 4, ब्लॉक बी पी, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकाता।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मोहम्मद अमजद खान,

   पताः– बी–186, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

   एवं मैसर्स एनके ज्वैलर्स एण्ड बेंगल्स– मालीराम दरोगा की गली, 259, नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. मोहम्मद साजिद खान,
3. मोहम्मद मजीद खान,
4. शाकिद खान,

   पताः– बी–186, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री हितेश सैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश दिनांक 08.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **31.01.2018** एवं रिस्ट्रक्चर दिनांक **04.12.2020** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद अमजद खान, मोहम्मद सादिक खान एवं मोहम्मद माजिद खान के संयुक्त स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. बी–186, विद्युत नगर बी, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि **01,03,33,157/–**रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **10.06.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। केवियटकर्त्ता की ओर से वकील श्री हितेश सैन उपस्थित है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम 5 जयपुर महा नगर द्वितीय द्वारा प्रकरण सख्या 251/2022 उनवानी श्रीमती साहिन बेग व अन्य बनाम मोहम्मद साजिद खान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 की फोटो प्रति पेश की जिसमें सभी पक्षकारान को जबाब प्रार्थना पत्र टी आई प्रस्तुत होने तक अन्तरिम आदेश पारित कर पक्षकारान को सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किये जाने एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तरिम निषेघाज्ञा प्रस्तुत होते ही अन्तरिम निषेघाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी होने के आदेश पारित किये गये है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था एलएनटी फाईनेन्स लि॰ एवं जिला मजिस्ट्रेट पक्षकार नहीं होने से धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नही पाते है।

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05, अगस्त, 2016 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,03,33,157/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,15,29,567.21/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद अमजद खान, मोहम्मद सादिक खान एवं मोहम्मद माजिद खान के संयुक्त स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं॰ बी–186, विद्युत नगर बी, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर